

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
 प्रकरण संख्या : 39/2017  
RCMS Case Reg. 2017/00050

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्रीमति जशोदा पत्नी श्री  
 जितेन्द्रजी पाटीदार, उम्र 52 वर्ष,  
 जाति पाटीदार, निवासी मादलदा, बनाम  
 तहसील गढी जिला बांसवाड़ा  
 (राज)

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,  
29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपरिस्थित : 1- श्री भूपेन्द्र जैन,

-अधिवक्तागण, -प्रार्थी पक्ष

2- श्री योगेश सोमपुरा,


-अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 17-05-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, यह कि, प्रार्थीया के निजी स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड संख्या 74 जिसकी साईज 30 फीट बाय 45 फीट जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट व भूखण्ड संख्या 75 जिसकी साईज 30 फीट बाय 45 फीट जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट वाके बडगाँव "बी" क्षेत्र मे स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1583/799 व 1582/799 का भाग है तथा प्रार्थीया उक्त आबादीशुदा भूखण्डो पर क्रय दिनांक से काबिज है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक एफ/ राजस्व/2015/ 699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि अवाप्ति के संबंध मे आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध मे एवार्ड



  
 भगवती प्रसाद  
 जिला कलक्टर  
 बांसवाड़ा

जारी किया गया है। उक्त निर्धारित प्रस्तावित मुआवजा राशि की नकल संलग्न है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 में प्रार्थीया के भूखण्डों में से 1550 वर्गफीट की मुआवजा राशि रूपया 2,27,447/- अक्षरे दौ लाख सत्ताईस हजार चार सौ सैतालीस रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि की स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करती है व Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहती है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थीया को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर एवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत एवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार में प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति को भी अवाप्ति अधिकारी ने ध्यान में नहीं रखा है तथा बाद में कलम नं. 3 में बताये अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की है, जो गलत है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमों के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा -

(1) 2016 DNJ (SC) 507. Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others  
(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणों में वैधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1582/799 में प्रार्थी के भूखण्ड की मात्र 420 वर्गफीट भूमि का ही मुआवजा निर्धारित किया है। जबकि सर्वे नं. 1582/799 में प्रार्थी की भेड़ भूमि 1150 वर्गफीट भूमि अनुपयोगी हो गई है। अतः उक्त कुल भूमि की मालियत निर्धारित नहीं की गई है। वह उसका उपयोग-उपभोग नहीं कर पायेगी व उसे इस कारण नुकसान होगा। जिसे प्रार्थीया कानूनन पाने की अधिकारी है। यह कि, वर्तमान में प्रार्थीया की प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है तथा उक्त भूमि आबादीशुदा सर्वे नं. 1583/799 व 1582/799 का भाग है। इस कारण उक्त कुल भूमि 2700 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 11,34,000/- अक्षरे ग्यारह लाख चौतीस हजार रूपया होता है तथा उक्त राशि का 100



**भूमिती प्रसाद**  
जिला कलेक्टर  
कलकत्ता

प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 11,34,000/- अक्षरे ग्यारह लाख चौतीस हजार रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 22,68,000/- अक्षरे बाईस लाख अडसठ हजार रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थीया पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थीया के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय का अवार्ड पारीत करावे कि :-

(क) यह कि, प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या 74 व 75 की कुल भूमि 2700 वर्गफीट भूमि का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 11,34,000/- अक्षरे ग्यारह लाख चौतीस हजार रूपया तथा उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 11,34,000/- अक्षरे ग्यारह लाख चौतीस हजार रूपया इस प्रकार कुल रकम रूपया 22,68,000/- अक्षरे बाईस लाख अडसठ हजार रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थीया पाने की अधिकारी है, वह भी दिलाया जावे।

(ख) यह कि, कुल राशि रूपया 22,68,000/- अक्षरे बाईस लाख अडसठ हजार रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।

(ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

(घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेश्न प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेश्न


की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 14-05-2018 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बडगांव के त्रुटिख खसरा नम्बर 1582 में से 0.003 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1583 में से 0.093 हैक्टेयर श्री सरकार भूमि की गलत अधिसूचना जारी हुई हैं एवं ग्राम बडगांव के राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1582 एवं 1583 अंकित नहीं हैं। जबकि प्रार्थीया द्वारा रूपान्तरित (आवादी) क्रयशुदा भूखण्ड खसरा नम्बर 1582/799 में से 420 वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 1583/799 में से 1130 वर्ग फीट कुल 1550 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है। अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 1582/799 एवं 1583/799 का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। गलत खसरा नम्बर 1582 में से 0.003 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1583 में से 0.093 हैक्टेयर श्री सरकार भूमि की गलत अधिसूचना जारी हुई हैं।



  
 भृगवती प्रसाद  
 जिला कलेक्टर  
 बांसवाड़ा

ग्राम बडगांव के राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1582 एवं 1583 अंकित नहीं हैं। प्रार्थीयां जशोदा पत्नि जितेन्द्र पाटीदार की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1582/799 में से 420 वर्ग फीट एवं खसरा नम्बर 1583/799 में से 1130 वर्ग फीट कुल 1550 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है, जबकि ग्राम बडगांव के गलत खसरा नम्बर 1582 एवं 1583 श्री- सरकार भूमि का गलत गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने एवं गलत अवार्ड पारित होने से प्रार्थीयां को मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीयां की खसरा नम्बर 1582/799 विनोद पिता जोखना भील सा.देह एवं खसरा नम्बर 1583/799 में से मनजी पिता थावरा भील से भूखण्ड संख्या 74 व 75 कुल 2700 वर्ग फीट रूपान्तरित आबादी भूमि भूखण्ड क्रय किये हैं। भारत सरकार के राजपत्र में ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 1582 व 1583 श्री सरकार भूमि की गलत अधिसूचना जारी होने से मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी खसरा नम्बर 1582 में से 0.003 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1583 में से 0.093 हैक्टेयर श्री सरकार भूमि की गलत अधिसूचना जारी हुई है। उक्त खसरा नम्बर ग्राम बडगांव के राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है। मौके पर अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 1582/799 रकबा 1 बीघा विनोद पिता जोखना भील सा.देह के नाम कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2010/381-87 दिनांक 13.12.2010 एवं खसरा नम्बर 1583/799 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मनजी पिता थावरा भील निवासी अनपुरा की खातेदारी भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2010/423-29 दिनांक 13.12.2010 द्वारा कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन गजट नोटिफिकेशन के पूर्व हुआ है। प्रार्थीया जशोदा ने अधिसूचना जारी होने के पूर्व दिनांक 28.02.2011 को जरिये रजिस्ट्री खातेदारान से आवासीय भू-खण्ड 74 व 75 कुल 2700 वर्गफीट भूमि क्रय किया है। उक्त क्रयशुदा भूखण्ड में से 1550 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुआ है। ग्राम बडगांव में अधिसूचित खसरा नम्बर 1582 व 1583 दर्ज रेकार्ड नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक : राजस्व/ रा.रा./2018/916 दिनांक 24-03-2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, सा.नि.वि.रा.रा. (विश्व बैंक) बांसवाड़ा के संयुक्त हस्ताक्षर से पारित अवार्ड के अतिरिक्त सूची तैयार की गई है। प्रार्थीया जशोदा पत्नि जितेन्द्र पाटीदार के नाम ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 1582/799 एवं 1583/799 में से अवाप्तशुदा 1550 वर्ग फीट भूमि सीधे क्रय पद्धति अन्तर्गत रू. 3,48,750/- (अक्षरे तीन लाख अड़तालिस हजार सात सौ पच्चास रूपयें मात्र) मुआवजा राशि की गणना कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता है।



*[Handwritten signature]*  
 जिला अधिकारी  
 बांसवाड़ा

दिनांक 17-05-2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्त/अदा आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया। साथ ही अवाप्ति से शेष रही प्रार्थी की भूमि, जो प्रार्थी के लिए अब अनुपयोगी हो चुकी है, का भी नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3-जी (7)(ए) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गलत खसरा नं० श्री सरकार भूमि का गलत गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने एवं गलत अवार्ड पारित होने से प्रार्थीगण को मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकृष्ट में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-05-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(**अशांती प्रसाद**)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा